मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 6152/MGNREGS-MP/NR-3/2012 **भोपाल, दिनाँक 03/07/2012**

आदेश

महात्मा गांधी नरेगा के विभिन्न जिलों में स्वतंत्र गुणवत्ता मॉनीटरिंग के लिये भेजे जाने वाले राज्य स्तरीय गुणवत्ता मॉनीटर्स को निम्नानुसार मानदेय एवं अन्य भत्तों की पात्रता होगी:

1. जिस पद से मॉनीटर सेवा निवृत्त हुये हैं, उस पद के लिये यात्रा हेतु जो पात्रता म.प्र. शासन के नियमों में है उसी के अनुसार यात्रा व्यय एवं डीए की पात्रता होगी।

2. सामान्यतः राज्य स्तरीय गुणवत्ता मॉनीटर्स को ठहरने के लिये शासकीय विश्राम भवन/गृह की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, यदि यह व्यवस्था संभव न हो सके तो जिला पंचायत/कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (जैसा भी प्रकरण हो) द्वारा होटल में ठहरने की व्यवस्था की जावेगी एवं म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 184/377/88/एफ–1/4 दिनांक 22.04.88 के अनुसार होटल में ठहरने पर अधिकतम रू. 1000/– प्रतिदिन की सीमा में होटल चार्जेज सीधे जिला पंचायत/कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (जैसा भी प्रकरण हो) द्वारा संबंधित होटल को भुगतान किया जावेगा।

3. मानदेय प्रतिदिन 1500/– के मान से देय होगा। अवधि की गणना वास्तविक निरीक्षण अवधि+1 अतिरिक्त दिवस। वास्तविक निरीक्षण अवधि से तात्पर्य जिला मुख्यालय में पहुंचने एवं जिला मुख्यालय छोड़ने तक की अवधि से रहेगा।

4. गुणवत्ता मॉनीटर स्वयं की व्यवस्था से जिला मुख्यालय तक यात्रा करेंगे एवं जिला मुख्यालय में पहुंचने के उपरांत उनके निरीक्षण हेतु वाहन की व्यवस्था जिला पंचायत/कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (जैसा भी प्रकरण हो) द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। किसी भी स्थिति में राज्य स्तरीय गुणवत्ता मॉनीटर को यात्रा करने के लिये अन्यथा कोई व्यवस्था नहीं की जावेगी।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(नीरज मण्डलोई)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमॉक 6143 /MGNREGS-MP/NR-3/2012 भोपाल, दिनॉक 03/07/2012

प्रतिलिपि ::

1. सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, तिलहन संघ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
4. संचालक, ग्रामीण रोजगार, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल।
5. समस्त योजना प्रभारी, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल।
6. आयुक्त, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
7. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल समस्त, म.प्र.।
8. कलेक्टर, जिला समस्त, म.प्र.।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त, म.प्र.।
10. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग, समस्त, म.प्र.।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, समस्त, म.प्र.।
12. श्री.. राज्य स्तरीय गुणवत्ता मॉनीटर की ओर सूचनार्थ।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग